Fourteenth Loksabha

Session : 6
Date : 20-12-2005

Participants : Varma Shri Ratilal Kalidas

>

Title : Regarding need to consider the proposals in Petroleum Regulatory Board Bill as suggested by the Government of Gujarat.

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धंधुका) : महोदय, पैट्रोलियम रेग्यूलेटरी बोर्ड विधेयक वर्ा 2002 को संसद में पेश किया गया था, जिसमें गुजरात सरकार की ओर से कुछ चिंताएं तथा दृटिकोण व्यक्त किये गये थे। इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जनवरी, 2004 को लिखित रूप में तथा राज्य सरकार के ऊर्जा एवं पैट्रो रसायन विभाग ने भी पत्राचार से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्ति किया है।

इस सूचित विधेयक में गुजरात सरकार ने जो चिंताएं व दृटिकोण उल्लेखित किए हैं उसमें प्रथम केन्द्रीय नियमितता तथा राजकीय नियमितता जैसी द्विस्तरीय पद्वति का प्रावधान रखना, दूसरा केन्द्र सरकार के नियम तंत्र को अंतर्राट्रीय पाइप लाइनों को नियमन करने के साथ साथ राज्य सरकार के निम तंत्र को राज्य के भीतर स्थानीय ि वतरण की पाइन लाइनों को नियमन करने के अधिकार भी मिलने चाहिए। मेरा मानना है कि यदि ऐसे प्रावधान नहीं रखे गये तो योजनाओं की स्वीकृति में विलंब होगा, जिसके परिणामस्वरूप राज्य में गैस ग्रिड को तेजी से क्रियान्वित करने के राज्य सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों पर दुप्रभाव पडेगा।

माननीय पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि वे गुजरात सरकार के व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के सर्वांगीण विकास तथा राज्य में सुगम गैस वितरण व्यवस्था स्थापित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत संशोधनों पर सकारात्मक विचार किया जाये।